न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2023 बउनवानी महेशचन्द गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग,निवासी ई–केशव नगर बजरिया,स0मा0
GCMS No-2023/132

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

7.11.2023

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.8.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. भीमराज पुत्र लक्ष्मीनारायण ख0न0 876/1/1 ग्राम छाण तहसील खण्डार रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 8.1.1969, का भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन की पटवारी रिपोर्ट नक्शा अलाटमेंट आदेश व भूमि का पटटा प्रमाणित प्रति 3 सेट। ख0न0 876/1/1 की खसरा गिरदावरी1969–1970,1971–1972,1972–1973,1973–1974–1975, सन् 1969–1970 ग्राम छाण की प्रोसेडिंग रजिस्टर नकल शाखा।
2. ख0न0 876/1/1 से संबंधित नामा0 संख्या 265 दिनांक 4.5.1970,नामा0 संख्या 551 दिनांक 25.2.1975, नामा0 संख्या 851 दिनांक 18.9.1979 की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम,की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2023/4697 दिनांक 16.10.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 25.8.2023 मे चाही गयी सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक 4367 दिनांक 22.9.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध तहसील कार्यालय से नही है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.8.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। बिन्दु संख्या 2 की (सम्वत् 2029–2032 को छोडकर) शेष सूचना जरिये पत्रांक 4696 दिनांक 16.10.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है किन्तु नामा0 संख्या 265,551,851 की नकल अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता [illegible] तीनो नामा0 की प्रति अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। [illegible] ही अपीलान्ट को भी सुझाव दिया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना जिला अभिलेखागार [illegible] नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ [illegible] निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner